

06.10.17

वकील चाही अनु। ओगोरीक का अर्थलेकी.) सिणधरा  
गया। वकील चाही कर बा निरक्षित करे के  
आवजूद परिवारियों की लमीय बाबत तलबते  
पेश नहीं कर रहे हैं। आज भी स्वयं अनुपालित हैं  
तथा पुकार लगाने के आवजूद इच्छित नहीं हुए हैं,  
लिहाजा वाद CPC के आदेश 9 नियम 5 के तहत  
अकारिज किया जात है। पत्रावली केवल शुभ्रा होकर  
नम्बर के कम हो, दाखिल दफ्तल जमा हो।

6500  
सहायक मजिस्ट्रेट  
(S.D.O.) सिणधरी